Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

रिट याचिका (एस.) क्रमांक 2845/2008

याचिकाकर्ता :- प्रशांत कुमार खाड़े एवं अन्य।

बनाम

प्रतिवादी :- छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

और

तीन अन्य संबंधित मामले ।

(दिनांक- 20/03/2009 को निर्णय और आदेश की उद्घोषणा के लिए सुचिबद्ध)

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

रिट याचिका (एस.) क्रमांक 2845/2008

याचिकाकर्ता:-

1. प्रशांत कुमार खाड़े पुत्र ,श्री प्रकाश खाड़े, उम्र करीब 26 साल, नेहरू छात्रावास के पास का निवासी ,नवापारा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

2. पूजा कश्यप पुत्री, श्री अशोक कुमार कश्यप, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी शांति विहार कॉलोनी, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

3. नयाराम लाल साहू, पुत्र श्री साधुराम साहू, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम सोरम, पोस्ट भटगांव, तहसील एवं जिला धमतरी (छ.ग.)

4. संतोष कुमार गवले पुत्र, श्री कोमल प्रसाद गवले, उम्र लगभग 25 वर्ष, गांव और पोस्ट लालपुर, पेंड्रा रोड, ब्लॉक गौरेला, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

5. डाकेश्वर कांत सोनक पुत्र, श्री धर्मेंद्र कुमार सोनक, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम खारा, पोस्ट दर्रा, तहसील गुरुर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

6. रवीन्द्र सिंह मरावी पुत्र, श्री मथुर प्रसाद मरावी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी पोस्ट कोटमीकला, पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

7. विकास कुमार चन्द्राकर पुत्र, श्री बृजभूषण लाल चन्द्राकर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम परसदा, पोस्ट बेमचा, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)

8. नरसिंह ध्रुव पुत्र, श्री कुन्दनलाल, उम्र लगभग 24 वर्ष, द्वारा के.एल.उद्यानिकी महाविद्यालय रोड, पोटियाडीही, धमतरी, तहसील और जिला धमतरी (छ.ग.)

9. रोहनी कुमार पटेल पुत्र, श्री रवीन्द्र कुमार पटेल, उम्र लगभग 24 वर्ष, गांव का निवासी सामिपाली पोस्ट खडगांव, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

10. हरनारायण बंजारा पिता,श्री लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 24 वर्ष, द्वारा शिवम हॉस्टल, कमरा नंबर 22, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. गौवकरण साहू पिता, श्री किसुन राम उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम चिरपोटी, पोस्ट कोसमरा तहसील कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)

12. नरोत्तम कुमार यादव पिता, स्वर्गीय श्री वृमदावन यादव, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम तुकूपखना, रोस्त दिवानपुर, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)

13. किंशुक कुमार पिता, श्री मदनलाल उम्र लगभग 24 वर्ष, मनोज चंद्राकर/ श्री जी. एंथोनी 5/31, इस्पात नगर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

14. ओम प्रकाश चंद्राकर पिता, श्री टेकूराम चन्द्राकर, उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता श्री भुवनेश्वर प्रसाद चंद्राकर, एकता चौक, जेल रोड, महासमुंद, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)

15. कुमारी दलेश्वरी भतपहरी पिता, श्री संपत लाल भतपहरी, उम्र लगभग 24 वर्ष, ग्राम छतौना, पोस्ट मन्दिर निवासी हसौद, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. प्रवीण कुमार भगत पिता, श्री भूलन राम उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम व चौकी कमरी, पुलिस थाना शंकरगढ़, तहसील कुसमी (सामरी) जिला, सरगुजा (छ.ग.)

17. कुमारी सरोज मांझी पिता, श्री कन्हैया लाल मांझी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम मेडुका, तहसील पेंड्रा रोड जिला, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. रवि प्रकाश भगत पिता, श्री देवसाय भगत के, उम्र लगभग 24 वर्ष, क्यूआर का निवासी। . एमआईजी 579, सेक्टर- 2, पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर, गोल चौ, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

19. कमल नारायण निषाद पिता, श्री कुमार निषाद, आयु लगभग 25 वर्ष, कार्यालय, उप निदेशक उद्यान सरकण्डा, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.)

20. इंद्र कुमार माथुर पिता, श्री कोमल दास माथुर, उम्र लगभग 24 वर्ष, डिप्टी कार्यालय,

उप संचालक, उद्यान, सरकण्डा, बिलासपुर, तहसील एवं जिला, बिलासपुर (छ.ग.)

21. अवध किशोर चन्द्राकर पिता, श्री बद्रीप्रसाद चन्द्राकर उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम कौंदकेरा, पोस्ट सौरिद., तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)

22. कुमारी वर्षा साहू पिता, श्री आर.एन.साहू, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ब्रम्हपुरी, बूढ़ेश्वर मंदिर के पीछे, हरि निवास, रायपुर, तहसील एवं जिला. रायपुर (छ.ग.)

23. निधि नायडू पिता, श्री एस.के.नायडू, उम्र लगभग 24 वर्ष, का निवासी क्वार्टर क्रमांक 50/483, बंधवापारा, पुरानी बस्ती, रायपुर, तहसील और जिला, रायपुर (छ.ग.)

24. चित्रसेन साहू पिता , श्री पंचूराम साहू, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम व चौकी का निवासी रामपुत, तहसील कुमद, जिला धमतरी (छ.ग.)

25. अनीता चौधरी पिता, श्री श्यामलाल चौधरी, उम्र लगभग 25 वर्ष, क्वार्टर क्रमांक एमआईजी 692,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर, गोल चौक,
रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

26. खिलावन दास पुत्र, श्री दयाल दास, उम्र लगभग उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम कुर्मा तराई, पोस्ट देमार, पुलिस थाना अर्जुनी, तहसील एवं जिला धमतरी (छ.ग.)

27. प्रवीण चन्द्र सर्वा पिता, श्री सुरेश चन्द्र सर्वा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी नई बस स्टैंड, पोस्ट नगरी, तहसील नगरी., जिला धमतरी (छ.ग.)

28. खुश्तर मेंहदी पिता, श्री अफ़सर हुसैन , उम्र लगभग 23 वर्ष, मदरसा-ए-इमानिया के पास जुइनबिया, हैदरी मस्जिद, मोमिनपारा, तहसील और जिला धमतरी (छ.ग.)

29. कुमारी ऋचा शर्मा पिता , श्री राजेंद्र कुमार शर्मा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती, बनियापारा, रायपुर, तहसील और जिला रायपुर (छ.ग.)

30. शशिभूषण रात्रे पिता, श्री संतोष कुमार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रात्रे, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम
एवं पोस्ट छिंद,तहसील सारंगढ़, जिला
रायगढ़ (छ.ग.)

31. भूपेन्द्र नायक पिता, श्री हेमन्द्र नायक
श्री हेमन्द्र नायक का पुत्र, उम्र लगभग 25 वर्ष
वर्ष, द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,
केजे-इशाक नगर, रायपुर, तहसील और जिला
रायपुर (छ.ग.)

32. रविन्द्र कुमार राजवाड़े पिता, श्री जगधारीराम,
उम्र लगभग 25 वर्ष , निवासी ग्राम अड़राहा,
पोस्ट सोडोइली, दरिमा रोड, अंबिकापुर, जिला
सरगुजा (छ.ग.)

33. जगेन्द्र सिंह वर्मा पिता, श्री आर.एस.वर्मा,
उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी खम्हारडीह
(कंचन रोड, शंकर नगर, रायपुर, तहसील
एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

34. तारिक मुबीन कुरैशी पिता, श्री मुबीन अहमद
कुरैशी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी क्वार्टर
क्रमांक 36/770, आर.सी.चर्च के अंदर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बैरन बाज़ार, रायपुर, तहसील एवं जिला, रायपुर (छ.ग.)

35. अर्जुन सिंह नेताम, पुरूषोत्तम लाल नेताम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम बोधसेमरा। पोस्ट देवपुर, तहसील नगर, जिला धमतरी, (छ.ग.)

36. परिस्तोष सिंह जांगरे पिता , श्री जी. आर. जांगरे उम्र लगभग 23 वर्ष ग्रामीण कृषि विस्तार का अधिकारी, ब्लॉक एवं पोस्ट जैजैपुर, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

37. लोचन प्रसाद पिता, स्वर्गीय श्री हरगोविंद प्रसाद ,उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ए/09, कृष्णा नगर, भाटापारा, तहसील भाटापारा, जिला रायपुर (छ.ग.)

38. उदयवीर सिंह ठाकुर पिता, श्री समय सिंह ठाकुर, उम्र लगभग 24 साल, विजय सिलिकेट के पीछे, स्वाति एसटीडी के सामने, पंडरी, जिला रायपुर (छ.ग.)

39. सतीश कुमार ठाकुर पिता, स्वर्गीय श्री चतुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम व पोस्ट आमगांव, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

40. ईश्वर कुमार बघेल पिता, श्री रेशम लाल बघेल, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट रोहांसी, थाना एवं तहसील पलारी, जिला रायपुर (छ.ग.)

41. कुमारी कृष्णा कंवर पिता, श्री दरबार सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, बलगी परियोजना एम.क्यू.सी.- 7 कोराबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

42. कुमारी मधु साहू पिता, श्री सुमन सिंह साहू, उम्र लगभग 24 वर्ष, पुराना डबल स्टोरी क्वार्टर क्रमांक 9/बी, पोस्ट किरंदूर, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)

43. हरिश्चंद्र मारकंडे पिता, श्री सुखीराम मारकंडे, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट देवबलौदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

44. संतोष कुमारी भगत पिता, श्री देवसाय भगत, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी क्वार. क्रमांक एमआईजी 579, सेक्टर-2, पंडित दीनदयाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपाध्याय नगर, गोल चौक, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

45. दुष्यंत कुमार गहरवाल पिता, श्री नोहर दास गहरवाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम भैंसमुड़ा, पोस्ट कुरा, थाना धरसींवा, जिला रायपुर (छ.ग.)

46. जय सिंह पैकरा, विशभर सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट गोगीसर, थाना गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

47. शशि भूषण सिंह पिता, श्री एल.पी. सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी क्वार्टर क्रमांक 32-ए, एच.पॉकेट, मरौदा सेक्टर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

48. संतोष कुमार गुप्ता पिता, श्री ठाकुर प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी टेलीफोन कार्यालय के सामने मेन रोड, बतौली, जिला सरगुजा (छ.ग.)

49. अभिषेक कुमार तिवारी पिता, स्वर्गीय श्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एस.एन.तिवारी, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15, सी.एल.चर्च के पास, नंदिनी नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

50. हिमांशु कुमार दुबे पिता, श्री रामकुमार दुबे, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम और पोस्ट बछखर वाया पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

51. जमुनादास महंत लखन दास महंत, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी पोस्ट सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

52. अनिल कुमार पिता, श्री धर्म सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम मासुल, पोस्ट बहरेल, तहसील गुंडरदेही, जिला दुर्ग (छ.ग.)

53. उमेशचंद वर्मा पिता, श्री राजेंद्र प्रताप वर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी हीरापुर रोड, मकान संख्या A-135 अर्जुन विहार, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

54. नितिन श्रीवास पिता, श्री कौशल सिंह श्रीवास, उम्र लगभग 26 वर्ष, सहदेव नगर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निवासी - मधु भंडौरिया नर्सिंग होम के पीछे राजनांदगांव, तहसील एवं जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

55. निशांत आनंद पिता, श्री सतीश शुक्ला, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी- महादेव घाट रोड, होली मदर स्कूल के पास, सुंदर नगर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

56. तरुण कुमार चंद्राकर पिता, श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी- ग्राम जोरातराई, पोस्ट भटगांव, तहसील का गुंडरदेही, जिला दुर्ग (छ.ग.)

57. बसंत सिंह यादव पिता, श्री जोहन यादव, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम दलदली, पोस्ट सरोना, तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)

58. अविनाश कुमार देवांगन पिता, श्री भगवती प्रसाद देवांगन, उम्र लगभग 25 वर्ष, द्वारा निवासी ग्राम और पोस्ट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुर्रा, वीरगांव, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

59. सुधीर कुमार कसार , श्री बाबूलाल कसार, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता नवल किशोर वर्मा, सत्ती मंदिर के पास, सत्ती बाजार चौक, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>बनाम</u>

<u>उत्तरदाताओं</u>:-

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, कृषि डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)
3. रजिस्ट्रार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.)

उपस्थित:- 1. श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

2. श्री एम.पी.एस. भाटिया, राज्य/प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से उप-शासकीय अधिवक्ता।

3. श्री बी.डी. गुरु, प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता।

<u>रिट याचिका (एस.) क्रमांक 3118/2008</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>याचिकाकर्ताओं</u>:-

1. आशीष कुमार सिंह पुत्र, श्री ए.के.सिंह, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी- देवांगन के पीछे फ्लोर मिल, चंदाश कुंज मोहलाई ,दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

2. संतोष कुमार देवांगन उम्र लगभग 23 वर्ष पिता श्री पूनाराम देवांगन ,के पास निवासी देवांगन धर्मशाला, गया नगर, मकान नं. 4/416 जिला दुर्ग (छ.ग.)

3. नारायण कुमार सरकार, उम्र लगभग 22 वर्ष पिता, स्वर्गीय श्री लाला राम सरकार की ग्राम निवासी और पोस्ट फिंगश्वर, तहसील राजिम, जिला रायपुर

(छ.ग.)

4. भूपेन्द्र कुमार वर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, पिता, स्व श्री रवि कुमार वर्मा ग्राम निवासी और पोस्ट देवरबीजा तह. बेरला जिला, दुर्ग (छ.ग.)

5. तामेश्वर लाल साहू उम्र लगभग 26 वर्ष पिता, श्री मनराखन लाल साहू, निवासी ग्राम दीयाबाती, पुलिस- दर्रा, तह. गुरूर जिला, दुर्ग (छ.ग.)

6. किरण वर्मा पिता, श्री लालजी वर्मा, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी शीतलापारा, भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ.ग.)

7. ओम प्रकाश महाले, उम्र लगभग 24 वर्ष पिता, श्री आनंद महाले, निवासी गंज थाना, पुलिस स्टेशन कॉलोनी, ब्लॉक-ए, प्रथम तल, फाफाडीह चौक, रायपुर (छ.ग.)

8. दुष्यन्त कुमार पिता, श्री बीरेन्द्र कुमार उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी स्तंभ चौक, मिनी माता नगर, उतई रोड, नेवई, भिलाई,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिला दुर्ग (छ.ग.)

9. विनय कुमार नायक, उम्र लगभग 23 वर्ष, पिता, श्री रोहित कुमार नायक, निवासी 54-एफ, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

10. मुकेश कुमार पिता, के.एस. सोनवानी, लगभग उम्र 23 वर्ष, निवासी जे/18/सी मरोदा सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

11. योगेश्वर सिंह पटेल पिता, स्वर्गीय श्री चित्रेन सिंह पटेल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक नंबर 10 क्वार्टर. क्रमांक 5, कबीरकुटी के पास, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. नितेश कुमार दामले, उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता, श्री एम.एल.दामले, निवासी गोटा टोला, थाना. मोहला, तहसील मोहला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

13. जयश्री वर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, पुत्री, श्री लालजी वर्मा, निवासी शीतलापारा भिलाई 3, जिला दुर्ग (छ.ग.)

14. सुनील कुमार मढ़रिया उम्र करीब 23 वर्ष पिता, स्व श्री शंकरलाल मढ़रिया, निवासी क्वार्टर क्रमांक

409/5/ए, बालको नगर, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

15. पुरेन्द्र देव वर्मा, उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता, श्री एम.एल.वर्मा, निवासी, पॉकेट, 3/डी मरोड़ा सेक्टर भिलाई, जिला. दुर्ग (छ.ग.)

16. मनीष कुमार साहू उम्र करीब 23 वर्ष पिता का श्री के.आर.साहू, निवासी 30/सी एचएससीएल कॉलोनी, रुआबांधा सेक्टर, भिलाई, जिला। दुर्ग (छ.ग.)

17. मनोज कुमार पिता, हरिश्चन्द्र, उम्र लगभग 26 वर्ष वर्ष, निवासी ग्राम जोरातरायी, डाकघर भाठागांव (आर) तह. गुंडरदेही, जिला दुर्ग (छ.ग.)

18. विनीत दास पिता, जॉन सैमुअल दास, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी रेलवे गेट के पास तुमगांव रोड, महासमुंद, जिला. महासमुंद (छ.ग.)

19. राकेश सिंह यादव उम्र करीब 21 वर्ष पिता, श्री विद्याशंकर सिंह यादव, निवासी पेंटे कोस्टल चर्च के पास, निर्मला एस.टी.डी. राम नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. तिलेन्द्र कुमार साहू, उम्र लगभग 22 वर्ष, पिता, श्री नामदास साहू, निवासी नीलम 9/एफ विराट प्रॉपर्टी डीलर, धनोरा रोड, बोरसी, जिला दुर्ग (छ.ग.)

<u>बनाम</u>

<u>उत्तरवादीगण</u>:-

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, कृषि विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, कृषि विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. निदेशक, कृषि विभाग, निदेशालय, रायपुर (छ.ग.)
4. कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री बिट्टू नाग, श्री की ओर से उपस्थित अधिवक्ता।

श्री एन.एस. धुरंधर, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, राज्य/प्रतिवादी 1 से 3 के लिए उप शासकीय अधिवक्ता।

श्री बी. डी. गुरु, उत्तरवादी क्रमांक 4 के अधिवक्ता।

<u>रिट याचिका (एस) क्रमांक 2824/2008</u>

<u>याचिकाकर्ताओं</u> :

1. अम्ब्रीश चन्द्राकर पिता, श्री वियश नारायण चंद्राकर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी पास कांग्रेस भवन, बालोद, तहसील बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.)
2. उत्तम ताम्रकार पिता, श्री पी.एल.ताम्रकर उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी मकान नं. 121/3, तमेरपारा, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)
3. तोषण कुमार चंद्राकर पिता, श्री यशवंत चंद्राकर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी मोनो निवास, वार्ड क्रमांक 18, न्यू रावणभाठा, महासमुंद, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)
4. पंकज कुमार नाग पिता, श्री राम कुमार उम्र लगभग 25 वर्ष, ग्राम व पोस्ट का निवासी शंकरगढ़ (ब्लॉक पारा) निवासी सामरी, तहसील कुसमी, जिला सरगुजा (छ.ग.)
5. शशांक शुक्ला पिता, श्री यशवन्त शुक्ला उम्र करीब 24 साल, निवासी सुन्दर नगर, महादेव घाट रोड, राजकिशोरी विवाह के पास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भवन के पास, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर

(छ.ग.)

6. मुकेश कुमार पिता, श्री हलाखोर साहू, उम्र लगभग 25 वर्ष, ग्राम मुरखुसरा निवासी, पोस्ट आंवरी, पुलिस थाना एवं तहसील चारामा, जिला कांकेर (छ.ग.)

7. नवीन कुमार देवांगन, पिता, श्री जीवराखन लाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, द्वारा के.एल. उद्यानिकी महाविद्यालय, गुं डरदही रोड, पोहिमाडीह (बालक छात्रावास) ग्राम एवं पोस्ट पोहिया, जिला दुर्ग (छ.ग.)

8. निर्मल सिंह जांगरे, पुत्र, श्री परितोष सिंह जांगरे, उम्र लगभग 24 वर्ष, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक पौधेकुंज, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

9. सतीश कुमार वर्मा पिता , श्री सुखूराम वर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, द्वारा संतकुमार वर्मा, ग्राम कोदवा, पोस्ट ससहा, थाना पलारी, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. खोमेश्वर प्रसाद सोनी, पिता, श्री रामविशाल सोनी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अमादाद (पेंड्रा) वाया पेंड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

11. सुनील कुमार साहू पिता, श्री छेदूराम साहू, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी क्वार्टर क्रमांक एसएफ895, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कॉलोनी, कोसाबाड़ी, कोरबा (पूर्व), जिला कोरबा (छ.ग.)

12. गजेंद्र कुमार करस, पिता, श्री केशव प्रसाद करस, उम्र लगभग 24 वर्ष, श्री के.पी. करस, ममता इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे, सिंधी कैंप, पोस्ट ऑफिस तिल्दा नेवारा (छ.ग.), रायपुर जिला

13. कुमारी रश्मि कुम्हार, पिता , श्री गिन्वर कुम्हार, उम्र लगभग 22 वर्ष, के.एल. उद्यानिकी महाविद्यालय, धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

14. भाग्यश्री गुप्ता पिता, श्री जेम प्रकाश गुप्ता, उम्र लगभग 23 वर्ष, पुत्री मन्दाकिनी गिल्स छात्रावास, कमरा नंबर 218, कृषक नगर, जोरा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ई.जी.के.वी.वी. रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

15. हरेन्द्र कुमार साहू, पिता, श्री भरत कुमार साहू, उम्र लगभग 2 वर्ष, ग्राम बंजारी, पोस्ट अर्जुन्द, तहसील एवं जिला धमतरी (छ.ग.)

16. एंथ्रेसियस तिग्गा, पिता श्री मतियस तिग्गा, लगभग 25 वर्ष, द्वारा श्री हेमचंद यायक, कृष्णक नगर, वी.सी.कैम्पस, रायपुर (छ.ग.)

17. नन्द कुमार पिता, श्री घनाराम उम्र लगभग 23 वर्ष, द्वारा ग्राम ईरा, तहसील कुरुद, जिला, धमतरी (छ.ग.)

18. प्रवीण रामटेके पिता, श्री टी.आर. रामटेके, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मकान संख्या 40/1175, संजय नगर मेन रोड, पुलिस स्टेशन टिकरापारा, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

19. विनोद कुमार कोरेटी, पिता, श्री एस.आर. कोरेटी, उम्र लगभग 28 वर्ष, द्वारा श्री एस.आर. कोरेटी ,क्वार्टर संख्या 111-112 डबल एमआईजी,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बी ब्लॉक विजेता कॉम्प्लेक्स,न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

20. भीलेंद्र कुमार साहू पिता, श्री रोमलाल साहू, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम बोहिरा, पोस्ट ऑफिस पलारी, तहसील गुरुर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

21. केशेन्द्र कुमार पिता श्री गिरिराज पुत्र, वृद्ध लगभग 23 वर्ष, द्वारा ग्राम भठेली, पी.ओ. भखारा, तहसील कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)

22. दिहू राम पटेल पिता, श्री छविलाल पटेल उम्र लगभग 26 साल, गांव सेनपुवा, पोस्ट छत्ती, तहसील और जिला। धमतरी (छ.ग.)

23. कुमारी अरुणा तिर्की पिता, श्री संतोष कुजूर, उम्र लगभग 25 वर्ष, द्वारा एलआईजी 579, सेक्टर 2 पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर, डंगनिया, के पास गोल चौक, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

24. जयन्त कुमार पुत्र, श्री बिहारी लाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, द्वारा डाकघर परसदा, तहसील अभनपुर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिला रायपुर (छ.ग.)

25. थानेश्वर सिंह पिता, श्री मुन्नीराम, उम्र लगभग 24 वर्ष, द्वारा शिवम छात्रावास, कमरा संख्या 22, आई.जी.के.वी. कृष्णक नगर, रायपुर (छ.ग.)

26. श्री सी.आर.कोर्रम के पिता, घनश्याम कोर्राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, द्वारा शिव चौक, बनियापारा, धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी (छ.ग.)

27. भूपेन्द्र कुमार पिता, श्री लोकनाथ, उम्र लगभग 24 वर्ष, द्वारा पेंड्रावाही, आबादीपारा, अम्बा चौक, पुलिस स्टेशन और पोस्ट कंवर, तहसील बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.)

28. नवल किशोर साहू, पिता, श्री ब्रिजेश कुमार साहू, उम्र लगभग 24 वर्ष, ग्राम व पोस्ट पल्लारी, तहसील गुरुर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

29. देवेन्द्र मोहन पिता, श्री डोमन सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, द्वारा गांव चंद्रगेज, पोस्ट और तहसील गुंडरदेही, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. दिलीप कुमार बंदे पिता, श्री दिलोराम बंदे, उम्र लगभग 25 वर्ष, बोरसी भाठा, वार्ड क्रमांक 50 डाकघर बोरसी कॉलोनी, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

31. जुनेद खान पिता, श्री नासिर खान, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

32. हरपाल सिंह पिता, श्री ज्ञान सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, सत्यम बालक छात्रावास, कक्ष क्रमांक 66, कृषि महाविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

33. रोमाश कुमार सूर्यवंशी पिता, श्री रामेश्वर सिंह सूर्यवंशी, उम्र लगभग 24 वर्ष, द्वारा शिवम हॉस्टल, कमरा नंबर 07, कृषि महाविद्यालय, कृषक नगरजोरा, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

34. उकेश कुमार चंद्रवंशी, पिता, श्री डी.एस.ठाकुर, उम्र लगभग 24 वर्ष, द्वारा ग्राम कांदुल डाकघर कांदुल, तहसील गुंडरदेही, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. समीर कुमार पिता, श्री अंगार साय, उम्र लगभग 24 वर्ष, ग्राम सोनतराई, पोस्ट देवगढ़, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

36. शैलेन्द्र कुमार विंशी, रामेश्वर प्रसाद विंशी, वर्ष, निवासी गांव चलता, पोस्ट सूर (सीतापुर) जिला सरगुजा (छ.ग.)

37. हार्दिक टांक पुत्र ,श्री भीमगी टांक, उम्र लगभग उम्र 23 वर्ष, ग्राम कोलचुरे (पुजारी पारा) पोस्ट कोलापुर, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

38. मनोक कुमार पैकरा पिता, श्री राजकुमार पी ऐकरा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम पाहंदा, पोस्ट मिझुंवागांव (कोटा) जिला बिलासपुर(छ.ग.)

39. प्रवीण कुमार भारती पिता, श्री छत्रपति राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी गांव और पोस्ट प्रतापगढ तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

40. शेख फरीदुद्दीन अंसारी, पिता श्री शेख बदमद्दीन अंसारी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट धरसींवा, जिला रायपुर, (छ.ग.)

41. पवन कुमार पुत्र, श्री गोपाल राम, उम्र लगभग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25 वर्ष, निवासी गांव और पोस्ट सूर, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

42. प्रदीप कुमार लाकड़ा, पिता श्री सुभाष लाकड़ा, उम्र लगभग 25 वर्ष, द्वारा श्री एस.आर.कोरेटी, 111-112, विजेता कॉम्प्लेक्स, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

43. सुमन लाल पटेल, पिता, श्री मोहन लाल पटेल, उम्र लगभग 24 वर्ष, कमरा नंबर 71, सत्यम छात्रावास कृषि महाविद्यालय, कृषक नगर, जोरा, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरदाताओं:

1. द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ राज्य, कृषि विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)
3. रजिस्ट्रार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.)

उपस्थित: श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, राज्य/ उत्तरवादी 1 और 2 की ओर से उप- शासकीय अधिवक्ता।

श्री बी.डी. गुरु, उत्तरवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता।

<u>रिट याचिका (एस) क्रमांक. 4568/2008</u>

<u>याचिकाकर्ता:</u>

1. अर्चना राउत, पिता श्री परशुराम राउत, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी सिविल कोर्ट के पीछे, वार्ड क्रमांक 21, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)
2. हरीश सिन्हा पुत्र श्री नारद राम सिन्हा, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी सना रोड, संजय नगर, कुमड़, जिला धमतरी (छ.ग.)

<u>बनाम</u>

<u>प्रतिवादी</u>:

1. छतीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर
2. निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

सुश्री सुनीता जैन, राज्य/ उत्तरवादीगण की ओर से पैनल अधिवक्ता।

<u>भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका</u>

<u>एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अनिहोत्री, न्यायाधीश</u>

<u>(पारित दिनांक- 20 मार्च, 2009)</u>

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चूँकि रिट याचिकाओं के इस समूह में एक सामान्य विधि प्रश्न शामिल है जिसमें रिट याचिका (एस.) क्रमांक 2845/2008, 3118/2008, 2824/2008 और रिट याचिका (एस.) क्रमांक 4568/2008 शामिल हैं, इसलिए सभी याचिकाओं का निपटारा इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है। रिट याचिका (एस.) क्रमांक 4568/2008 पर दिनांक 26.02.2009 को सुनवाई की गई और निर्णय हेतु सुरक्षित रखा गया। और रिट याचिका (एस.) क्रमांक 2845/2008, 3118/2008, 2824/2008 पर दिनांक 28.02.2009 को सुनवाई की गई और निर्णय हेतु सुरक्षित रखा गया।

1. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 7.5.2008 के अक्षेपित आदेश को (रिट याचिका (एस) क्रमांक 2845/2008 में अनुलग्नक -पी/1) में चुनौती दी है, जिसके तहत राज्यपाल के नाम से जारी परिपत्र, जिसमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (जिसे आगे "आरएईओ" कहा जाएगा) के लिए आवश्यक योग्यताएँ बताई गई थीं, को वापस ले लिया गया था।

2. संक्षेप में, तथ्य यह है कि दिनांक 31.10.2007 के विज्ञापन (रिट याचिका (एस) क्रमांक 2845/2008 में अनुलग्नक- पी/3) के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि निदेशालय द्वारा

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 26.11.2007 थी। याचिकाकर्ताओं ने बी.एससी. (बागवानी) और एम.एससी. (कृषि) अर्थशास्त्र { रिट याचिका (एस) क्रमांक 2845/2008 में}, बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) और एम.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) { रिट याचिका (एस) क्रमांक 3118/2008 में}, बी.एससी. (बागवानी) और एम.एससी. (कृषि) { रिट याचिका (एस) क्रमांक 2824/2008 में} और बी.एससी.(कृषि जैव प्रौद्योगिकी) { रिट याचिका (एस) क्रमांक 4568/2008 में} ने आवेदन किया। विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित योग्यता कृषि में स्नातक (कृषि स्नातक) थी। याचिकाकर्ताओं के आवेदनों की जाँच की गई और याचिकाकर्ताओं को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयन हेतु परीक्षा देने की अनुमति दी गई। दिनांक 29.12.2007 को परिणाम घोषित किया गया (रिट याचिका (एस) क्रमांक 2845/2008 में अनुलग्नक पी/4)। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके नाम चयन सूची में शामिल किए गए। इस बीच, राज्य सरकार ने पत्र/ज्ञापन दिनांक 28.01.2008 (रिट याचिका (एस) क्रमांक 2845/2008 में अनुलग्नक पी/8) द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता की व्याख्या/विस्तार किया कि कृषि स्नातक (कृषि स्नातक) में बी.एससी. कृषि, बी.एससी. बागवानी, बी.एससी. कृषि (जैव प्रौद्योगिकी) और बी.टेक शामिल हैं। उक्त परिपत्र के आधार पर, जांच की गई और याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया। हालाँकि, नियुक्ति के समय, चयन समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने दिनांक 28.01.2008 के पूर्व परिपत्र (रिट याचिका (एस) क्रमांक 2845/2008 में अनुलग्नक पी/8) को दिनांक 7.5.2008 के आक्षेपित आदेश (रिट याचिका (एस) क्रमांक 2845/2008 में अनुलग्नक पी/1) द्वारा रद्द कर दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3.अब, इन मामलों में प्रश्न यह उठता है कि क्या परिपत्र दिनांक 28.01.2008 (रिट याचिका (एस) क्रमांक 2845/2008 में अनुलग्नक P/8) जो चयन प्रक्रिया के दौरान जारी किया गया था जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया था और उनके मामलों की अंतिम चयन हेतु जाँच की गई थी, को नियुक्ति के समय बाद में वापस लिया जा सकता है?

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित मुख्य अधिवक्ता श्रीमती सिद्दीकी और श्री नाग ने निवेदन किया कि राज्य- उत्तरवादीगण को नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के समय यह अच्छी तरह पता था कि कृषि स्नातक का अर्थ बी.एससी. बागवानी, बी.एससी. कृषि (जैव-प्रौद्योगिकी) और बी.टेक है। इसीलिए, याचिकाकर्ताओं को परीक्षा देने की अनुमति दी गई और जांच के बाद, उनका अंतिम रूप से चयन किया गया। राज्य सरकार ने चयन प्रक्रिया के दौरान पात्रता योग्यता की व्याख्या इस प्रकार की कि बी.एससी. (कृषि) में बी.एससी. (बागवानी), बी.एससी. (कृषि जैव-प्रौद्योगिकी) और बी.टेक शामिल हैं। इस प्रकार, पूर्व आदेश दिनांक 28.01.2008 (रिट याचिका (एस) क्रमांक 2845/2008 में अनुलग्नक पी/8) को रद्द करने वाला आक्षेपित आदेश, जो चयन प्रक्रिया के दौरान जारी किया गया था, उम्मीदवारों की नियुक्ति के समय वापस नहीं लिया जा सकता।

5. इसके अतिरिक्त, श्री श्रीवास्तव ने (रिट याचिका (एस) क्रमांक 4568/2008 में निवेदन किया है कि बी.एससी. (कृषि) का अर्थ है बागवानी में बी.एससी., बी.एससी. कृषि (जैव प्रौद्योगिकी) और बी.टेक।

6. इसके विपरीत, श्री भाटिया, जो उप-सरकारी अधिवक्ता हैं, निवेदन किया कि राज्य/ उत्तरवादीगण के मन में योग्यता के संबंध में कोई भ्रम नहीं था। आरएईओ, के पद के नियमों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कृषि में स्नातक को योग्यता के रूप में प्रकाशित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया था। अधिकारियों की ओर से याचिकाकर्ताओं को चयन के लिए परीक्षा में भाग लेने और साथ ही जांच के बाद चयन सूची में उनका नाम दर्ज करने की अनुमति देने में एक गलती या त्रुटि हुई थी। श्री भाटिया ने आगे निवेदन किया है कि यदि राज्य सरकार चयन प्रक्रिया के दौरान पात्रता योग्यता को स्पष्ट करती है, तो राज्य सरकार नियुक्ति के चरण में भी इसे वापस लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। श्री भाटिया ने आगे निवेदन किया कि अगली प्रोन्नति योग्यता भी बी.एससी. (कृषि) है।

7. उत्तरवादी विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु ने तर्क दिया कि बी.एससी. (बागवानी) और बी.एससी. (कृषि), दोनों अलग-अलग डिग्रियाँ हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, जिन्होंने अभिवचनो और उसके साथ संलग्न दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं। यह स्पष्ट है कि दिनांक 31.10.2007 के विज्ञापन में, आरएईओ, के पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता बी.एससी. (कृषि) (कृषि स्नातक) निर्धारित थी। निर्धारित परीक्षा 23.12.2007 को आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजित होने के बाद, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता बी.एससी. (बागवानी), बी.एससी. कृषि (जैव-प्रौद्योगिकी) और बी.टेक बताई गई थी। उपरोक्त पद के लिए 23.12.2007 को परीक्षा आयोजित होने के बाद, दिनांक 31.10.2007 के विज्ञापन के अनुसार, यह परिपत्र जारी किया गया था। इसके बाद उक्त परिपत्र 10.04.2008 को वापस ले लिया गया। उपरोक्त दोनों परिपत्र विज्ञापन के अनुपालन में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आरएईओ) के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित होने के बाद जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं के पास बी.एससी. (कृषि) की योग्यता नहीं है। याचिकाकर्ता इस आधार पर नियुक्ति के अधिकार का दावा करते हैं कि अपेक्षित योग्यता दिनांक 28.01.2008 के परिपत्र

द्वारा स्पष्ट/संशोधित की गई थी जिसे बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। उत्तरवादी-विश्वविद्यालय ने रिट याचिका (एस) क्रमांक 3118/2008 में प्रस्तुत अपने उत्तर में तर्क दिया कि बी.एससी. (कृषि) बी.एससी. (बागवानी), बी.एससी. (कृषि जैव प्रौद्योगिकी), बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी), बी.टेक. (डेयरी प्रौद्योगिकी) और बी.वी.एससी. एवं ए.एच. से भिन्न डिग्री है। ये बी.एससी. (कृषि) के समकक्ष नहीं हैं। इस क्रम में, स्नातक डिग्री कार्यक्रम के लिए शैक्षणिक नियम, जिसके परिणामस्वरूप बी.एससी. (कृषि/बागवानी/जैव प्रौद्योगिकी), बी.टेक (डी.टी.), बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) और बी.वी.एससी. एवं ए.एच. डिग्रियाँ,(कार्यपत्र रिट याचिका (एस) क्रमांक 4568/2008 में अनुलग्नक पी/3) में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि बी.एससी. (कृषि) में बी.एससी. (बागवानी), बी.एससी. (कृषि जैव प्रौद्योगिकी), बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी), बी.टेक. (डेयरी प्रौद्योगिकी) और बी.वी.एससी. एवं ए.एच. शामिल हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह सुस्थापित है कि चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के नियमों में बदलाव की अनुमति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों ने *के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य*[1]*"* मामले में पैरा 27 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"27........ इसलिए, संपूर्ण चयन प्रक्रिया (जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं) पूरी हो जाने के बाद, साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता लागू करना, खेल के बाद खेल के नियमों को बदलने के समान होगा, जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। इस न्यायालय के कई निर्णयों से हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। इनमें से तीन का उल्लेख करना पर्याप्त है - *पी.के. रामचंद्र लायर बनाम भारत संघ, उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य।"*

1.(2008)3 एससीसी 512

10. इस मामले को *हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय*[2] में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था।

11. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्णयों की श्रृंखला में प्रतिपादित सुस्थापित अनुपात को लागू करने के बाद, परीक्षा आयोजित करने के बाद, चयन प्रक्रिया के दौरान, विज्ञापन के अनुसार किसी भी योग्यता को शामिल करना या आगे बढ़ाना/विस्तार करना स्वीकार्य नहीं है और उसके बाद उक्त स्पष्टीकरण को वापस लेना भी अप्रासंगिक है। इस प्रकार, चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का कोई स्पष्टीकरण/विस्तार या संशोधन स्वीकार्य नहीं है। भले ही याचिकाकर्ताओं को परीक्षा देने की अनुमति दी गई हो और जांच के दौरान वे सफल पाए गए हों, फिर भी वे नियुक्ति के हकदार नहीं हैं क्योंकि उनके पास विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. *अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य* [3] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपेक्षित योग्यता रखने के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"20. अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखना अनिवार्य है। इसमें अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। यदि अनिश्चितता को बरकरार रखा जाता है, तो नियोक्ता के पास अयोग्य उम्मीदवारों के आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी...."

13. इसके अलावा, निदेशक, एससीटीआई, *चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं अन्य बनाम एम. पुष्करन* [4]" मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति/चयन/भर्ती से संबंधित निर्णयों की

2. (2008) 7 एससीसी 11

3. (2007) 4 एससीसी 54

4. (2008) 1 एससीसी 448

श्रृंखला पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित टिप्पणी की:

"11. इस संबंध में क्षेत्र में लागू कानून न तो संदेह में है और न ही विवाद में। केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति का नाम चयन सूची में है, यह अपने आप में उसे नियुक्ति देने का आधार नहीं हो सकता। चयन सूची में शामिल किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बशर्ते, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य की ओर से सद्भावनापूर्ण कार्रवाई। (देखें शंकरसन दास बनाम भारत संघ, आर.एस. मित्तल बनाम भारत संघ, आशा कौल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, ए.पी. अग्रवाल बनाम दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारतीय खाद्य निगम बनाम भानु लोध, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ बनाम ए. आर्थर जीन,पिट्टा नवीन कुमार बनाम राजा नरसैय्या जांगिटी, भारत संघ बनाम एस. विनोद कुमार, मध्य प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार पाठक) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपर्युक्त कारणों से, सभी याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। वाद-व्यय संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS MITA TANDIA ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur